भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1116**

उत्‍तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2015

7 श्रावण, 1937 (शक)

**भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थिति**

**1116 . श्री डी॰ कुपेन्द्र रेड्डीः**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण और इसके द्वारा संचालित केन्द्रों की वर्तमान स्थिति के अध्ययन हेतु कोई पहल की है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित खेल सुविधाओं में कोई

प्रशिक्षक/कोच उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के अन्तर्गत इन प्रशिक्षण सुविधाओं

के श्रेष्ठतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

**युवा कार्यक्रम और खेल राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री सर्बानन्‍द सोनोवाल )**

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) की स्‍कीमों की समीक्षा और पुनर्गठन के लिए श्री बी वी पी राव, भा.प्र.से\_ (सेवानिवृत्‍त) की अध्‍यक्षता में एक समिति नियुक्‍त की गई। समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्‍तुत कर दी हैं। समिति की सिफारिशें अनुबंध में दी गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्‍न नहीं उठता।

(घ) भाखेप्रा अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं का श्रेष्‍ठतम उपयोग करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। भाखेप्रा प्रशिक्षुओं की संख्‍या बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है। भाखेप्रा ने आओ और खेलो स्‍कीम और कम्‍युनिटी कनैक्‍ट स्‍कीम आरंभ की है जहां स्‍थानीय खिलाड़ी और युवा भी भाखेप्रा द्वारा संचालित क्षेत्रीय केंद्रों और दिल्‍ली स्‍टेडिया सहित भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्रों पर आ सकते हैं और सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके परिणामत: भाखेप्रा केंद्रों और स्‍टेडिया में आने वाले लोगों की संख्‍या में भारी वृद्धि हुई है।

**\*\*\*\*\***

**अनुबंध**

**भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थिति के संबंध में श्री डी॰ कुपेन्द्र रेड्डी द्वारा दिनांक 29.07.2015 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1116 के भाग (क) के उत्‍तर में संदर्भित अनुबंध**

**साई संवर्धन स्‍कीमों के पुर्नगठन संबंधी सिफारिशें**

**-बी.वी.पी. राव समिति रिपोर्ट**

स्‍कीमों तथा उनके प्रभावी कार्यान्‍वयन में आ रही अड़चनों पर गहन विचार करने के बाद समिति ने निम्‍नलिखित सिफारिशें प्रस्‍तुत की।

1. **राष्‍ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी**)-समिति ने 1985 में आरंभ की गई इस स्‍कीम की समीक्षा की और यह पाया कि यह स्‍कीम अनिवार्यत: अपेक्षित परिणाम प्राप्‍त नहीं कर सकी क्‍योंकि साई का खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रबंधन पर प्रत्‍यक्ष नियंत्रण नहीं है। इसका दूसरा कारण शैक्षणिक कार्यक्रमों पर आधारित शिक्षा पद्धति है जिसमें खेलों को उपेक्षित रखा गया है। समिति का मानना है कि स्‍कूली व्‍यवस्‍था से खेल उत्‍कृष्‍टता में कोई परिणाम शिक्षा नीति तथा खेल उत्‍कृष्‍टता को शिक्षा के एक भाग के रूप में प्रोत्‍साहित करके ही प्राप्‍त किए जा सकते हैं। इस संदर्भ में एक सुस्‍पष्‍ट उदाहरण है साई द्वारा 49 नवोदय विद्यालयों को अपनाना और इसके बाद कार्यक्रम से स्‍कूलों को हटाना। वास्‍तविकता यह है कि नवोदय विद्यालय जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा विभाग के सीधे नियंत्रण में थे, साई और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ अपेक्षित परिणाम प्राप्‍त करने के लिए समन्‍वय स्‍थापित नहीं कर सके। अत: समिति एनएसटीसी को बंद करने की सिफारिश करती है।

समिति का यह भी मानना है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों तथा अन्‍य विद्यालयों में खेल उत्‍कृष्‍टता को शिक्षा के एक अंग के रूप में शामिल करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मामला उठाना चाहिए। दूसरी ओर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को खेल उत्‍कृष्‍टता को खेल पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए राज्‍य सरकार के साथ भी मामला उठाना चाहिए।

समिति की यह भी राय है कि केंद्रीय बजट और राज्‍यों के बजट का कम से कम एक प्रतिशत खेलों के लिए आबंटित किया जाए ताकि जमीनी स्‍तर पर खेलों के विकास के लिए पर्याप्‍त इनपुट हो।

2. एनएसटीसी को बंद करने तथा एसएजी और एबीएससी को बनाए रखने तथा खेल अकादमियां स्‍थापित करने संबंधी सिफारिशें इस विश्‍वास पर आधारित है कि जमीनी स्‍तर पर खेलों का विकास केंद्रीय और राज्‍य सरकारों की शिक्षा पद्धति का अभिन्‍न अंग होना चाहिए तथा शीर्ष खेल उत्‍कृष्‍टता को साई और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।

3. समिति का मानना है कि सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) अच्‍छा काम कर रही है। यद्यपि, कुछ समस्‍याएं हैं, तथापि, इस स्‍कीम से अति उपयोगी परिणाम प्राप्‍त हुए हैं। इसलिए यह समिति इस स्‍कीम को जारी रखने तथा एबीएससी केंद्रों की संख्‍या 18 से बढ़ाकर 50 करने और इनका विस्‍तार नेवी और अर्द्धसैनिक बलों में भी करने की सिफारिश करती है।

4. साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)/उत्‍कृष्‍टता केंद्र (सीओई)/अकादमियां-विद्यमान साई प्रशिक्षण केंद्रों/उत्‍कृष्‍टता केंद्रों की समीक्षा की गई और पाया कि इन केंद्रों को खेल अकादमियों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस समय देश भर में 56 साई प्रशिक्षण केंद्र और 15 उत्‍कृष्‍टता केंद्र कार्यरत हैं। समिति का मानना है कि भाखेप्रा को साई प्रशिक्षण केंद्रों ओर उत्‍कृष्‍टता केंद्रों की मौजूदा अवसंरचना को साई अकादमियों में बदल देना चाहिए। विभिन्‍न राज्‍यों में कुल 200 साई खेल अकादमियों की सिफारिश की जाती है ।

5. विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) स्‍कीम का उद्देश्‍य दूर-दराज के जनजातीय, ग्रामीण, तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्‍ध नैसर्गिक खेल प्रतिभा का पता लगाने और उसका पोषण करना है। एसएजी की भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन तथा केंद्रों के प्रबंधन में लापरवाही के बावजूद इस स्‍कीम से प्रशंसनीय परिणाम प्राप्‍त हुए हैं। अत: समिति सिफारिश करती है कि इस स्‍कीम को जारी रखा जाए और इसका विस्‍तार किया जाए तथा इसके केंद्रों की संख्‍या 19 से बढ़ाकर 30 कर दी जाए।

6. समिति ने साई क्षेत्रीय केंद्रों तथा शैक्षणिक संस्‍थानों की संरचना और कार्यों की भी समीक्षा की। यह सिफारिश की जाती है कि सभा ग्रीष्‍म तथा शीतकालीन ओलंपिक खेल विधाओं, एशियाई और राष्‍ट्रमंडल खेलों की विधाओं और पैरोलंपिक खेलों की खेल विधाओं को शामिल करते हुए 50 राष्‍ट्रीय खेल अकादमियां बनाई जाए। समिति एकल खेल राष्‍ट्रीय अकादमियों को तरजीह देती है। तथापि, साई क्षेत्रीय केंद्रों और शैक्षणिक संस्‍थानों में विद्यमान अवसंरचना तथा स्‍टाफ का उपयोग करने के लिए बहु-विधा (तीन खेल विधाओं से अधिक नहीं) साई खेल अकादमियां स्‍थापित की जाए।

7. समिति की उपर्युक्‍त सिफारिशों के अनुसार साई स्‍कीमों का पुनर्गठन, सहायक निदेशकों और कोचों की तत्‍काल भर्ती जैसा कि रिपोर्ट में दिया गया है, की जानी चाहिए।

8. विस्‍तार केंद्र स्‍कीम को जारी रखा जाए और इसका नाम खेल आउटरीच स्‍कीम कर दिया जाए।

**देशज खेलों और मार्शल आर्ट्स (आईजीएमए) के संबंध में की गई सिफारिशें**

1. एनएसटीसी स्‍कीम का और विस्‍तार न किया जाए ताकि खेलों का शिक्षा के साथ एकीकरण किया जा सके। अत: यह सिफारिश की जाती है कि मानव संसाधन विकास और शिक्षा मंत्रालय से इसकी नीति के पुनर्गठन के लिए संपर्क किया जाए ताकि राज्‍य सरकारों को शिक्षा में मुख्‍यत: खेलों को महत्‍व देने के लिए कहा जा सके।

2. वर्तमान में स्‍कीम में कार्यरत कोचों को साई की अन्‍य स्‍कीमों में तैनात किया जाए।

3. चूंकि स्‍कूली शिक्षा मुख्‍यत: राज्‍य निकायों द्वारा दी जाती है अत: एनएसटीसी का निष्‍पादन राज्‍य स्‍तर ही किया जाना चाहिए।

4. एनएसटीसी मुख्‍यत: खेलों को विस्‍तृत आधार प्रदान करने को बढ़ावा देता है, अत: यह सिफारिश की जाती है कि यह स्‍कीम केंद्र स्‍तर पर नहीं अपितु राज्‍य स्‍तर पर निष्‍पादित की जाए। दूसरी तरफ, साई का मुख्‍य उद्देश्‍य उत्‍कृष्‍टता है जो सैद्धांतिक खेल मॉडल में विस्‍तृत आधार से एक दर्जा श्रेष्‍ठ होगी।

5. देशज खेल और मार्शल आर्ट्स (आईजीएमए) और अखाड़ा स्‍कीमों का पुनर्गठन किया जाएगा और एसएजी और साई खेल अकादमियों को फीडर केंद्र बनाए जाएंगे।

**सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) के संबंध में की गई सिफारिशें**

1. स्‍कीम के विभिन्‍न पक्षों में निम्‍नानुसार सुधार करते हुए स्‍कीम को जारी रखना।

2. समिति का मानना है कि वर्तमान 18 की संख्‍या को बढ़ाकर 50 कर दिया जाए ताकि सेना के प्रत्‍येक रेजीमेंट केंद्र में एक कंपनी हो। ऐसी बाल खेल कंपनी नौसेना और अर्द्धसैनिक बलों में भी आरंभ की जानी चाहिए।

3. अत: समिति यह मानती है अगले पांच वर्षों में बाल खेल कंपनी की कुल संख्‍या 50 तक हो सकती है।

साई प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के संबंध में की गई सिफारिशें

1. साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)/उत्‍कृष्‍टता केंद्र (सीओई) अकादमियां-विद्यमान एसटीसी/सीओई की समीक्षा की गई और यह पाया गया कि इन केंद्रों को खेल अकादमियों में परिवर्तित किया जा सकता है।

2. वर्तमान में देश भर में 56 एसटीसी और 70 विस्‍तार केंद्र कार्यरत हैं।

3. समिति का मानना है कि साई को एसटीसी और सीओई की मौजूदा अवसंरचना को साई खेल अकादमियों में परिवर्तित कर देना चाहिए।

4. विभिन्‍न राज्‍यों में कुल 200 साई खेल अकादमियों की सिफारिश की जाती है।

**विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी स्‍कीम) के संबंध में की गई सिफारिशें**

(i) समिति इस स्‍कीम को एसटीसी स्‍कीम से अलग इसके वर्तमान रूप में ही एक विशिष्‍ट स्‍कीम के रूप में जारी रखने की सिफारिश करती है जिससे इसका विशुद्ध और अछूता स्‍वरूप बना रहे।

(ii) तथापि, इस स्‍कीम के तहत अवसंरचना सुविधाओं के सुधार और आधुनिकीकरण की तत्‍काल आवश्‍यकता है जिसके लिए अवसंरचना के विकास, कार्यालय उपकरणों, फर्नीचर, फिक्‍सचर सहित पुराने उपकरणों को बदलने हेतु एसटीसी के समान ही पर्याप्‍त प्रावधान यथाशीघ्र किए जाने चाहिए।

(iii) स्‍कीम की बुनियादी संकल्‍पना अर्थात जनजातीय, ग्रामीण तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों से और खेल विशिष्‍ट विधा में आनुवांशिक और भौगोलिक दृष्‍टि से अग्रणी क्षेत्रों/समुदायों से भी नैसर्गिक प्रतिभा की खोज को बनाए रखा जाए। एसएजी केंद्र, जो उपर्युक्‍त मानदंड में नहीं आते, की साई खेल अकादमी केंद्र का नाम दिया जाना चाहिए और उन पर सभी प्रावधान लागू होने चाहिए। यदि किसी मामले में उपयुक्‍त परिणाम प्राप्‍त न हों तो इसे बंद कर देना चाहिए।

(iv) यह सिफारिश की जाती है कि एसएजी केंद्रों की संख्‍या अगले पांच वर्षों में वर्तमान 19 एसएजी केंद्रों से बढा़कर कम से कम 30 एसएजी केंद्र कर दी जाए। यह सिफारिश की जाती है कि सहायक निदेशक/उप निदेशक को एसएजी केंद्रों की अध्‍यक्षता समुचित आवधिक निगरानी और मूल्‍यांकन प्रणाली से करनी चाहिए। खेल विधाओं और प्रतिस्‍पर्धाओं की संख्‍या के आधार पर प्रत्‍येक एसएजी केंद्र के लिए सहायक स्‍टाफ सहित चार से पांच कोचों की तैनाती की जाए। स्‍टाफ पैटर्न अनुबंध में दिया गया हा।

(v) उत्‍तर करवर (कर्नाटक) और गिर (गुजरात) में नीग्रो मूल की सिद्दी जनजाति में प्राकृतिक प्रतिभा का उपयोग करने के लिए गठित विशेष क्षेत्र खेल केंद्र को राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय स्‍पर्धाओं में अच्‍छे परिणाम देने के बावजूद बंद कर दिया गया। यह सिफारिश की जाती है कि दो सिद्दी एसएजी केंद्र उत्‍तर करवर (कर्नाटक) और गिर (गुजरात) में तत्‍काल पुन: स्‍थापित किए जाएं।

(vi) संपूर्ण पूर्वोत्‍तर की जूनियर प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए अधिमानत: शिलांग में एक एसएजी फुटबाल केंद्र की तत्‍काल स्‍थापना की जानी चाहिए ताकि भारत में आयोजित किए जाने वाले युवा विश्‍व कप (यू-17) के लिए पूर्वोत्‍तर की जूनियर प्रतिभाओं को दिशा दी जा सके। यह केंद्र एसएजी, नेहू, शिलांग में स्‍थापित किया जा सकता है।

(vii) नए साई एसएजी केंद्रों की स्‍थापना के लिए स्‍थानों की पहचान करने हेतु एक समिति गठित की जाए। यह समिति एसएजी केंद्रों की वर्तमान स्‍थिति का आकलन करे और खेल विधाओं के सुव्‍यवस्‍थीकरण, नवीकरण, उन्‍नयन और प्रशिक्षण सुविधाओं सहित खेल अवसंरचना को बढ़ाने की सिफारिश करे।

(viii) मौजूदा एसएजी केंद्रों में चयन प्रक्रिया फिर से शुरू करने, स्‍टाफ पैटर्न, खेल विधाओं के सुव्‍यवस्‍थीकरण की आवश्‍यकता पर प्रकाश डालते हुए विशेष क्षेत्र खेल के सुदृढ़ीकरण और देशज खेलों तथा मार्शल आर्ट्स, जो कि एसएजी केंद्र के अंतर्गत चयन के लिए मुख्‍य स्रोत है, की सूची का ब्‍यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

(ix) यह भी सिफारिश की जाती है कि साई को खेलों यथा तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्‍ती, मुक्‍केबाजी, वाटर स्‍पोर्ट्स आदि मे पहाड़ी/जनजातीय खिलाड़ियों की आनुवांशिक श्रेष्‍ठता को बढ़ाने के लिए सक्षम विदेशी कोच नियुक्‍त करने चाहिए जिससे भारत विभिन्‍न अंतरराष्‍ट्रीय स्‍पर्धाओं में अपनी उपस्‍थिति दर्ज करा सके और मुख्‍य अंतरराष्‍ट्रीय प्रतियोगिताओं यथा ओलंपिक/एशियाई खेलों/विश्‍व चैम्‍पियनशिप आदि में पदक प्राप्‍त करने के लिए आवश्‍यक समय अवधि को कम किया जा सके।

**एसटीसी या एसएजी के विस्‍तार केंद्रों के संबंध में की गई सिफारिशें**

1. स्‍कीम का नाम बदलकर खेल आउटरीच स्‍कीम (एसओएस) रखना जिसे भारत के स्‍कूलों, कालेजों और विश्‍वविद्यालयों पर ध्‍यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है।

2. मौजूदा विस्‍तार केंद्रों की गहन समीक्षा करने और समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जारी रखने/बंद करने की सलाह दी जाती है।

3. खेल आउटरीच स्‍कीम को केवल गैर-आवासीय सुविधाओं पर शुरू करने की सिफारिश की जाती है।

4. यह भी सिफारिश की गई है कि प्रत्‍येक केंद्र में केवल दो खेल विधा प्रचालन में हो।

5. अगले पांच वर्षों के दौरान चरणबद्ध तरीके से स्‍कीम के अंतर्गत 250 केंद्र जोड़े जाएंगे।

6. उपयुक्‍त चयन किया जाना चाहिए ताकि खेल उपलब्‍धियों/खेल सुविधाओं वाले सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कूल/कालेज ही अपनाए जाएं।

**राष्‍ट्रीय खेल अकादमियां (एनएसए) पर सिफारिशें**

1. 50 राष्‍ट्रीय खेल अकादमियां सभी ग्रीष्‍म ओलंपिक खेलों, शीत ओलंपिक खेलों, एशियाई और राष्‍ट्रमंडल खेल विधाओं और पैरालंपिक खेलों को कवर करेंगी।

2. आरंभ में यह सिफारिश है कि राष्‍ट्रीय खेल अकादमियां साई के विद्यमान क्षेत्रीय केंद्रों/शैक्षणिक संस्‍थानों में स्‍थापित की जाएं।

3. साई क्षेत्रीय केंद्रो/संस्‍थानों की अवसंरचना के अलावा राष्‍ट्रीय अकादमियां स्‍थापित करने के लिए स्‍थान की पहचान करना।

4. क्षेत्रीय केंद्र जहां अपेक्षित संकाय, खेल विज्ञान इकाईयों सहित अवसंरचना उपलब्‍ध हो में स्‍थापित की जाने वाली अकादमियों में चार वर्षीय (3+1) शैक्षणिक पाठ्यक्रम आरंभ करना।

5. सभी विदेशी कोचों को राष्‍ट्रीय अकादमियों में तैनात करना जहां वे इन अकादमियों में राष्‍ट्रीय टीमों का प्रशिक्षण आरंभ कर सके।

**साई खेल अकादमियां (एसएसए) पर सिफारिशें**

1. अगले 5 वर्षों में देश के विभिन्‍न भागों में 200 खेल अकादमियां

2. सभी एसटीसी और सीओई को बहु या एकल खेल विधा में परिवर्तित किया जाए। तथापि किसी भी बहु खेल विधा अकादमी में तीन खेल विधा से अधिक न हो।

**अकादमियों में कार्यबल को सुदृढ़ करना**

1. पहले वर्ष में सहायक निदेशक की कुल आवश्‍यकता की 40 प्रतिशत भर्ती की जाए और शेष 60 प्रतिशत भर्ती अगले चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से की जाए।

2. अपेक्षित सहायक स्‍टाफ, पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण पर कार्रवाई की जाए और कमियों को दूर किया जाए।

3. 300 कोचों की तत्‍काल भर्ती की जाए और उसके बाद अगले चार वर्षों तक प्रति वर्ष 150 कोचों की भर्ती की जाए।

4. अपेक्षित सहायक स्‍टाफ, पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण पर कार्रवाई की जाए और कमियों को दूर किया जाए।

\*\*\*\*